

18/9/25

पत्रावली पेम्प हुई। वहील शर्की उप।
मूल राजत्व वाद का निस्तारण हो-युम्प
है। मूल वाद का निस्तारण होने से
पत्रावली पत्र अलग से चलाये जाने का
कोई औचित्य नहीं होने से मूल वाद
के साथ-साथ राजत्व आवेदन इसी
द्वारा खारिज किया जाता है। पत्रावली
केवल भुमार लेकर डाकिले दफ्तर हो
व्य नम्बर से क्रम हो।



सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन